विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-28.01.2015 को 03.30 बजे अपराह्न सचिवालय स्थित सभाकक्ष में Corporate Governance से संबंधित समितियों के प्रतिवेदन एवं प्रतिनियुक्ति पर विमर्श के संबंध में आहूत बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थितिः-यथा संलग्न ।

कार्यवाहीः- बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं पर चर्चा की गई ।

(1) अकार्यरत बोर्ड/निगमों की अद्यतन स्थिति :-

(i) उद्योग विभागः-विभाग के उपस्थित पदाधिकारी ने बताया कि बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम तथा उसके 8 अनुषंगी कंपनियों को परिसमापन द्वारा बंद करने का निर्णय लिया गया है । इस निगम के अनुषंगी कंपनी भवानी कार्बन एक्टिव लिमिटेड के संबंध में विभागीय प्रतिवेदन में विनिवेश योग्य अंकित है । "विनिवेश" योग्य को उपस्थित पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सका । इस निगम एवं अनुषंगी कंपनियों के लिए सांवैधिक अंकेक्षक की नियुक्ति की गई है । परिसमापन के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन हो गया है । माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है ।

बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को बंद करने का निर्णय लम्बित रखा गया है । वर्ष 1988-89 से वर्ष 2004-05 तक सांवैधिक अंकेक्षण पूरा हो चुका है, लेकिन उसका अंतिमीकरण लम्बित है । शेष वर्षो के लिए सांवैधिक अंकेक्षक की नियुक्ति की गई है ।

बिहार स्कुटरस लिमिटेड एवं बिहार पेपर मिल को बंद करने योग्य प्रतिवेदित किया गया है। परन्तु बंद करने की प्रकिया को स्पष्ट नहीं किया गया है । अंकेक्षण हेतु सांवैधिक अंकेक्षक की नियुक्ति की गई है ।

बिहार राज्य वस्त्र निगम को परिसमापन द्वारा बंद करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । बिहार राज्य निर्यात निगम को परिसमापन द्वारा बंद करने की कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है । बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम को परिसमापन द्वारा बंद करने का प्रस्ताव है । उक्त तीनों निगमों के लिए सांवैधिक अंकेक्षक की नियुक्ति की गई है ।

(ii) कृषि विभागः-कृषि विभाग में अकार्यरत निगम बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड को बंद करने की प्रकिया उपस्थित पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया । बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम को पुर्नजीवित करने का प्रस्ताव विभाग के प्रधान सचिव के पास भेजा गया है ।

आंतरिक अंकेक्षण प्रक्रियाधीन होना बताया गया ।

(iii) पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभागः-विभाग के सचिव द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य डेयरी कॉरपोरेशन विघटित की जा चुकी है ।

विकास आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी विभाग अपने अधिनस्थ अकार्यरत बोर्ड/निगमों के परिसमापन/बंद/Exit settlement के संबंध में निर्णय आगामी बैठक (जो दो माह बाद होगी) के पूर्व ले लें ।

(2) चालू बोर्ड/निगमों में रिक्त पदों के विरूद्ध अकार्यरत बोर्ड/निगमों के कर्मियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में विकास आयुक्त के द्वारा निदेश दिया गया कि सभी कार्यरत निगमों से वर्ग 4 एवं 3 की रिक्ति की सूचना अगली बैठक के पूर्व प्राप्त कर ली जाय । अकार्यरत बोर्ड/निगमों के वर्ग 4 एवं 3 के वैसे कर्मियों जिनकी प्रतिनियुक्ति अभी तक कहीं नहीं हो सकी है, उसकी सूची प्राप्त कर ली जाय

(3) Corporate Governance से संबंधित समितियों के प्रतिवेदन के संबंध में :-

Corporate Governance से संबंधित गठित छः समितियों यथा सी0एस0आर0 पॉलिसी समिति, शक्ति प्रत्यायोजन समिति (निगम के लिए), शक्ति प्रत्यायोजन समिति (सोसाइटी के लिए), एच0आर मैनुअल समिति, वैधानिक अनुपालन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है । वैधानिक अनुपालन समिति (निगम के लिए) एवं वैधानिक अनुपालन समिति (सोसाइटी के लिए) प्रतिवेदन एक साथ समेकित रूप से प्राप्त है ।

एच0 आर0 मैनुअल समिति के विस्तृत (Exhaustive) प्रतिवेदन की सराहना विकास आयुक्त द्वारा की गयी । सभी समितियों के सदस्य/सचिवों को निदेश दिया गया कि 5 फरवरी तक अपने अपने प्रतिवेदन की सॉफ्ट कौपी वित्त विभाग के ई-मेल पर उपलब्ध करायें । तत्पश्चात् वित्त विभाग प्रतिवेदनों को सभी विभागों के ई-मेल पर भेज दें । सभी विभाग प्रतिवेदन पर अपना मंतव्य/परामर्श 28 फरवरी, 2015 तक वित्त विभाग के ई-मेल पर प्रेषित करेंगे ।

9/2/2015

(एस0के0 नेगी)

विकास आयुक्त, बिहार, पटना

<u>वित्तीय संस्थान निदेशालय</u>

वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांकः 38/लो0उ0प्र0 (ज0शि0)-02/2014 20 /पटना, दिनांकः 10.02.2015

प्रतिलिपिः-1. **सचिव/प्रधान सचिव,** उद्योग विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/समाज कल्याण विभाग/नगर विकास विभाग/निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग/सूचना प्रावैधिकी विभाग/पर्यटन विभाग/शिक्षा विभाग/उर्जा विभाग सह-अध्यक्ष सी0एस0आर0 समिति/गृह (आरक्षी)विभाग/कृषि विभाग/स्वास्थ्य विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/पशुपालन एवं मत्स्य विभाग/खान एवं भूतत्व विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/सहकारिता विभाग/भवन निर्माण एवं आवास विभाग/अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग/पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/ काला संस्कृति एवं युवा विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/गन्ना उद्योग विभाग/जल

संसाधन विभाग/पंचायती राज विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को बैठक की कार्यवाही में आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित ।

2. **प्रबंध निदेशक,** बिहार राज्य पुल निर्माण निगम/बिहार राज्य रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन/महिला विकास निगम/बिहार राज्य आवास बोर्ड/बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम/बिहार शहरी विकास अभिकरण/बिहार राज्य विभरेज कारपोरेशन/बिहार राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम–सह–अध्यक्ष, शक्ति प्रत्यायोजन समिति/बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम/बिहार राज्य टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कारपोरेशन/बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम/बिहार राज्य हाईड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन/बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम/बिहार राज्य बीज निगम/बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति/बिहार राज्य वित्त निगम/आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण /बिहार राज्य खाद्य निगम/गव्य विकास निगम/बिहार राज्य खनिज विकास निगम/बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग/बिहार राज्य भंडार निगम/बिहार राज्य भवन निर्माण निगम/बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम/महादलित विकास निगम/बिहार राज्य पिछडा वर्ग वित्त विकास निगम/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, पटना को बैठक की कार्यवाही में आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित ।

3. श्री प्रभात शंकर, सचिव (व्यय)–सह–अध्यक्ष, एच0आर0 मैनुअल समिति/ श्री संजीवन सिन्हा, अध्यक्ष, शक्ति प्रत्यायोजन समिति/श्री उज्ज्वल कांत दूबे, विशेष सचिव, विधि–सह–अघ्यक्ष वैधानिक अनुपालन समिति, बिहार, पटना को बैठक की कार्यवाही में आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित ।

4. श्री जयंत कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग–सह–सदस्य सचिव, शक्ति प्रत्यायोजन समिति (सोसायटी के लिए)/सी0ए0/कंपनी सचिव, बिहार राज्य विभरेज कारपोरेशन–सह–सदस्य सचिव, सी0एस0आर0 पॉलिसी कमिटि/श्री अवधेश कुमार, ओएस0डी0, वित्त विभाग–सह–सदस्य सचिव, शक्ति प्रत्यायोजन समिति/श्री राजेन्द्र राम, अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग–सह–सदस्य सचिव, एच0आर0 मैनुअल समिति/श्री राजेश थडानी, प्रशासी पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद–सह–सदस्य सचिव, वैधानिक अनुपालन समिति/सुश्री रूचिका कालरा, कंपनी सचिव, बुडको–सह–सदस्य सचिव, वैधानिक अनुपालन समिति (निगम के लिए), बिहार, पटना को बैठक की कार्यवाही में आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित ।

योगेन्द्र राय 10/2/15
(योगेन्द्र राय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 38/लो0उ0प्र0 (ज0शि0)–02/2014 20 /पटना, दिनांकः 10.02.2015

प्रतिलिपिः–विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव (व्यय) के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

योगेन्द्र राय 10/2/15
(योगेन्द्र राय)
सरकार के अवर सचिव